समाहरणालय मधेपुरा
(जिला स्थापना शाखा)
पत्रांक................../स्था0,

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

दिनांक......... दिसम्बर 2013 ई0

विषय :- विधि व्यवस्था एवं अंचल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने संबंधी गठित आरोप से संबंधित स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा अंचल अधिकारी, आलमनगर के रूप में विधि-व्यवस्था में लापरवाही बरतने, अंचल के कार्यो का निर्वहन नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए आपके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर कण्डिकावार स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक : आरोप पत्र प्रपत्र 'क'
साक्ष्य सहित।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1247-2 /स्था0 दिनांक 19.12.2013 ।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/12/13
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रपत्र- "क"

1. सरकारी सेवक का नाम :- श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
2. पदनाम :- अंचल अधिकारी, आलमनगर
3. वेतनमान :- 9300-34800 (ग्रेड पे- 4200)
4. पैतृक विभाग का नाम :- योजना एवं विकास

क्रमांक	आरोप	साक्ष्य
01.	आप अंचल अधिकारी, आलमनगर के पद पर दिनांक 04.04.2010 से पदस्थापित हैं। दिनांक 03.11.2013 को विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा आपसे से बार-बार दूरभाष पर सम्पर्क किया गया, परन्तु आपके द्वारा न तो फोन रिसीव किया गया और न ही उस दिन अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से तत्काल दुबारा फोन पर बात की। कुंजौड़ी पंचायत में भूमि विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। आपको वहाँ घटना स्थल पर थानाध्यक्ष ने अनुपस्थित पाया तथा डी०सी०एल०आर० उदाकिशुनगंज को सूचित किया। इसके अतिरिक्त डी०सी०एल०आर० उदाकिशुनगंज स्वयं आलमनगर गये, जहाँ कालीपूजा का आयोजन था तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी, किन्तु आप आलमनगर मुख्यालय से भी अनुपस्थित थे। इस प्रकार भूमि विवाद एवं विधि-व्यवस्था के संवेदनशील अवसरों पर आपका अनुपस्थित रहना तथा उच्चाधिकारी द्वारा फोन से सम्पर्क करने पर उसको गंभीरता से नहीं लेना, आपकी लापरवाही, मनमानी तथा सरकारी कार्यो के प्रति आपकी उदासीनता का द्योतक है।	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 3201-2 दिनांक 04.11.2013 की छाया प्रति।
02.	दिनांक 03.11.2013 को विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति पानीटंकी, आलमनगर के पास की गई थी, परन्तु उस दिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा स्थल पर जाकर देखा गया तो आप वहाँ उपस्थित नहीं थे। दुर्गापूजा के समय में भी मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी को दिया गया था। यह अंचल अधिकारी स्तर के पदाधिकारी से अपेक्षित न्यूनतम आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है तथा कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।	अनुमंडल दण्डाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के संयुक्त आदेश सं० 2553/गो० दिनांक 01.11.2013 एवं अनुमंडल कार्यालय के पत्रांक 3201-2 दिनांक 04.11.2013। अनुमंडल कार्यालय के पत्रांक 2904-2, दिनांक 15.10.2013 की छाया प्रति।
03.	दिनांक 31.07.2013 को अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा अंचल कार्यालय, आलमनगर की समीक्षा की पूर्व सूचना देने के बावजूद भी बिना अपर समाहर्त्ता को कोई सूचना दिए मुख्यालय से अनुपस्थित थे। दूरभाष द्वारा पूछने पर आपके द्वारा बताया गया कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु उदाकिशुनगंज जा रहे है, जबकि उदाकिशुनगंज में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज तथा डी०सी०एल०आर० भी मौजूद थे। आप जानबूझकर आलमनगर से अनुपस्थित हुए। अपर समाहर्त्ता की समीक्षात्मक टिप्पणी को ज्ञापांक 32/गो०, दिनांक 12.08.2013 द्वारा आपको भेजते हुए अनुपालन की मांग की गई	अपर समाहर्त्ता मधेपुरा के ज्ञापांक 32/गो० दिनांक 12.08.2013 की छाया प्रति।

	थी तथा दूरभाष द्वारा मासिक बैठक में उक्त अनुपालन प्रतिवेदन की मांग कई बार की गई, परन्तु चार माह बीत जाने के बाद भी आज तक अनुपालन अप्राप्त है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा की समीक्षा टिप्पणी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि कार्यालय कार्य में आप की कोई अभिरुची नहीं है। यह आपके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, आपकी स्वेच्छाचारिता तथा राजस्व कार्यों में आपकी रुची बिल्कुल नहीं होने को दर्शाता है। आपका यह आचरण अत्यन्त असंतोषजनक है।	
04.	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व समन्वय समिति की, दिनांक 11.09.2013, 09.10.2013 एवं 13.11.2013 को हुई बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व भेजने का निदेश दिया गया था। परन्तु आपके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। उपरोक्त बैठकों की कार्यवाही क्रमशः ज्ञापांक 491-2/रा0 दिनांक 31.09.2013, 600-2/रा0 दिनांक 21.10.2013 एवं 756-2/रा0 दिनांक 29.11.2013 द्वारा आपको भेजी जा चुकी है। यह कर्त्तव्य के प्रति आपकी घोर लापरवाही तथा स्वेच्छारिता का गंभीर उदाहरण है।	ज्ञापांक 757-2 दिनांक 30.11.2013 के द्वारा भेजे गये बेतार संवाद की छाया प्रति एवं राजस्व समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 491-2/रा0 दिनांक 31.09.2013, ज्ञापांक 600-2/रा0 दिनांक 21.10.2013 एवं ज्ञापांक 756-2/रा0 दिनांक 29.11.2013 की छाया प्रति।
05.	दिनांक 03.12.2013 को 11 बजे पूर्वाह्न ए0सी0 विपत्र से की गई निकासी के विरुद्ध डी0सी0 विपत्र के माध्यम से राशि के समायोजन हेतु समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित नहीं हुए। जबकि बेतार संवाद ज्ञापांक 757-2 दिनांक 30.11.2013 से पूर्व में ही आपको निदेशित किया जा चुका था। दूरभाष पर सम्पर्क साधने पर आपके द्वारा बताया गया कि आलमनगर को छोड़कर शेष सभी अंचलाधिकारियों को बुलाया गया है। आप अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज के अतिरिक्त प्रभार में है। परन्तु उदाकिशुनगंज के अंचलाधिकारी के रूप में भी आप उपस्थित नहीं हुए जबकि उदाकिशुनगंज अंचल के निम्नांकित तीन ए0सी0 विपत्र अभी तक लंबित है। 90/11-12 - 194400/- 89/11-12 - 340000/- 76/11-12 - 500000/- दूरभाष पर निदेशित करने के बाद भी आप नहीं आये तथा बिना किसी डी0सी0 बिल के नाजिर को बैठक में भेज दिया। यह आप के मनमाने आचरण का द्योतक है।	बेतार संवाद ज्ञापांक 757-2 दिनांक 30.11.2013 की छाया प्रति।
06.	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेशानुसार आलमनगर अंचल को मधेपुरा अंचल द्वारा रुपये 16,000/- एवं शंकरपुर अंचल द्वारा रुपये 16,400/-तथा मुरलीगंज अंचल द्वारा रुपये 14000/-(चौदह हजार) बजरिये चेक गैर महादलित जमीन क्रय मद से उपलब्ध कराये गये थे। इसी प्रकार, उदाकिशुनगंज अंचल को भी शंकरपुर अंचल द्वारा रुपये 85,520/- उपलब्ध कराये गये थे। उक्त राशि निकासी करने वाले अंचलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। फलस्वरूप उन्हीं को डी0सी0 विपत्र समायोजित कराना है, परन्तु आलमनगर तथा उदाकिशुनगंज (प्रभार में) के अंचलाधिकारी होने के नाते न तो उक्त वर्णित राशि का चेक आपके द्वारा लौटाया गया और न ही अभिश्रव उपलब्ध कराया	राजस्व समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 491-2/रा0 दिनांक 31.09.2013, ज्ञापांक 600-2/रा0 दिनांक 21.10.2013 एवं ज्ञापांक 756-2/रा0 दिनांक 29.11.2013 की छाया प्रति।

गया, इस कारण शंकरपुर अंचल का ए0सी0 विपत्र सं0 37/11-12, राशि 8,96,400/-, मधेपुरा अंचल का ए0सी0 विपत्र सं0 85/11-12, राशि 7,56,000/-तथा मुरलीगंज अंचल का ए0सी0 विपत्र संख्या-104/2011-12, राशि-9,74,000 का डी0सी0 विपत्र समायोजित नहीं हो पा रहा है।

इस संबंध में बार-बार निदेश दिए जाने के बावजूद आपके आलमनगर अंचल और उदाकिशुनगंज अंचल (प्रभार में) नजारत से राशि या अभिश्रव शंकरपुर, मधेपुरा एवं मुरलीगंज अंचल को उपलब्ध नहीं कराया। दिनांक 03.12.2013 को अंचल अधिकारी, मधेपुरा तथा अंचल अधिकारी, शंकरपुर के सामने अपर समाहर्ता के द्वारा दूरभाष पर आपको सूचित कर राशि या अभिश्रव अंचल अधिकारी, मधेपुरा , अंचल अधिकारी, शंकरपुर तथा अंचल अधिकारी मुरलीगंज को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, लेकिन आज तक आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। यह अंचल अधिकारी स्तर के पदाधिकारी के न्यूनतम आचरण के विपरीत है।

10-12-13

13/12/13
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।